

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.8(41)चिस्वा/2/2016

जयपुर, दिनांक : 3-7-17

आदेश

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के नियम-24 बी एवं 24 बीबी के अन्तर्गत उपलब्ध प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 11.07.2011 से डी.ए.सी.पी. स्वीकृत किये जाने हेतु दिनांक 19.05.2016 को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के पुनरावलोकन के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी ने डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत डॉ. अशोक सिंघवी, कनिष्ठ विशेषज्ञ (अस्थि रोग) जन्म तिथि 02.06.1956 को दिनांक 11.07.2011 से वरिष्ठ विशेषज्ञ (अस्थि रोग) के पद पर (वेतनमान 15600-39100 में ग्रेड पे 7600/-) पदोन्नत किया जाता है।

साथ ही राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के नियम-24 बी एवं 24 बीबी (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अभिशंषा पर डॉ. अशोक सिंघवी, वरिष्ठ विशेषज्ञ (अस्थि रोग) जन्म तिथि 02.06.1956 को डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2016 से प्रमुख विशेषज्ञ के पद पर (वेतनमान 37400-67000 में ग्रेड पे 8700/-) पदोन्नत किया जाता है।

उक्त अधिकारी उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप यथा स्थान पदस्थापित रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से

sd-

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय/मां. राज्य मंत्री महोदय
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि. एवं स्वा. विभाग, राज. जयपुर।
- 3- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 4- निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक
- 5- निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
- 6- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन
- 7- संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
- 8- संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक, जन स्वास्थ्य
- 9- कम्प्यूटर सैल/निजी/रक्षित पत्रावली।
- 10- प्रभारी सर्वर रूम, निदेशालय, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाईड पर अपलोड करावें।

शासन सहायक सचिव